**न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर**
बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 61/2024

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर | | 1 राजेश गोड पुत्र देव किशन निवासी प्राईवेट बस स्टेण्ड, प्रकोटा के पास, बडली रोड नागौर।<br>मैसर्सः– विक्की जनरल स्टोर, नियर ओल्ड बस स्टेण्ड, नागौर।<br>2 वेणिगोपाल पुत्र श्याम सुन्दर निवासी साबूको की बारी, काटडियो का चौक, नागौर।<br>मैसर्सः–माहेश्वरी ब्रादर्स, काजीयों का चौक, नागौर। |

**आदेश** दिनांक :10.01.2025

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 01-02-2024 को मैसर्स विक्की जनरल स्टोर, नियर ओल्ड बस स्टेण्ड, नागौर पर खाद्य पदार्थ वनस्पति (पराग गोल्ड प्रीमियम) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2782 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/95/एक्ट /2024/123 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ वनस्पति (पराग गोल्ड प्रीमियम) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण राजेश गोड पुत्र देव किशन निवासी प्राईवेट बस स्टेण्ड, प्रकोटा के पास, बडली रोड नागौर तथा वेणिगोपाल पुत्र श्याम सुन्दर निवासी साबूको की बारी, काटडियो का चौक, नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 09-12-2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री दिनेश कुमार शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 07-01-2025 को अपना जवाब प्रस्तुत कर बहस में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त नमूना सील्ड पैक्ड अवस्था का लिया था जबकि उक्त नमूने के चार गत्ता पैकों को एक पात्र में खोलकर व एकसार करके हिला मिलाकर चार भाग करके नमूना लेते तो उक्त नमूने में किसी भी प्रकार की कोई कमी पाया जाना सम्भव नहीं थी, परन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनीकरण की कार्यवाही सही नहीं करने के कारण आई जांच रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/95/एक्ट /2024/123 दिनांक 14.02.2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ वनस्पति (पराग गोल्ड प्रीमियम) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 राजेश गोड पुत्र देव किशन निवासी प्राईवेट बस स्टेण्ड, प्रकोटा के पास, बडली रोड नागौर तथा अप्रार्थी संख्या 02 वेणिगोपाल पुत्र श्याम सुन्दर निवासी साबूको की बारी, काटडियो का चौक, नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/1/25

(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)